

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175, ईमेल : dcf.ngr. forest @ rajasthan. gov. in

क्रमांक : एफ () तक/उवसं/2017-18/ ५६७

दिनांक : ३०-१-१८

निमित्त :

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर

विषय : अजमेर-भैरुन्दा पावर ट्रान्समीशन लाईन हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताओं में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में यूजर एजेन्सी एकजीकुटिव इन्जिनियर(टी एण्ड सी) आर.वी.पी.एन.एल. अजमेर है। इन प्रस्ताओं में 3.01 है वन भूमि अजमेर वन मण्डल एवं 0.91 है वन भूमि नागौर वन मण्डल में प्रत्यावर्तित होगी। चूंकि 0.91 है वन भूमि बहुत ही छोटी इकाई है अतः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एक स्थान पर ही किया जाना उचित रहेगा। अतः इन प्रस्ताओं में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा दोनों वन मण्डल में बनाया जाना तकनीकी दृष्टि से उचित रहेगा। अतः इस संबंध में उप वन संरक्षक अजमेर को अपने स्तर से मार्गदर्शन देने का कष्ट करे।

भवदीय


(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक,
नागौर

क्रमांक : समसंख्याक/ ५६८-७०

दिनांक : ३०-१-१८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफसीए राज. जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, अजमेर।
3. अधिशाषी अभियन्ता(टी. एण्ड सी) आर.वी.पी.एन.एल. अजमेर।


(वेद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक,
नागौर